Rs 500

HUNDRED RUPEES

ATTESTED
Amit Sharma
M. Com. L. L. B., Advocote
Registry Compound Kutchery
Meerut

ओ३म्- किरायानामा अवधि 30 वर्ष

स्टाम्प अंकन 800/-(आठ सौ रूपये)

हम कि दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन, 62 शिवाजी रोड मेरठ द्वारा श्री गौरव दीवान पुत्र स्व० श्री विद्यासागर दीवान निवासी62 शिवाजी रोड मेरठ शहर -----प्रथमपक्ष (सम्पत्ति स्वामी)।।

पक्ष मे

दीवान लॉ कालिज, परतापुर बाईपास मेरठ द्वारा दीपक जोशी पुत्र स्व० श्री प्रेमचन्द्र जोशी निवासी 204 साकेत कालोनी मेरठ शहर----------- द्वितीयपक्ष(किरायेदार)।

जो कि निम्नसीमित मापानुसार एक अहाता मय आराजी तहती रकबई 3000 तीन हजार वर्गमीटर, भूमि मि० खसरा नम्बर 127 स्थित ग्राम कुण्डा परगना व तहसील व जिला मेरठ उक्त अहाते सहित अन्य भूमि के प्रथमपक्ष विक्रय पत्र लिखित तिथि 09-03-2005 ई. जिसकी रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज नम्बर 2315 पर कार्यालय सब रजिस्ट्रार मेरठ

Secretary
Dewan Law College
Partapur By Pass, Meerut

(५६) ५००/- पाँच सौ रु०

दिनांक ... द्वारा- श्री दीपक जोशी S/o श्री प्रेम चन्द जोशी नि० २०५ ...

रु० 500/=

2/3/2006 ...

किरायानामा 1000/- ... 1000×3 = 3000/-

६८- गौरव दीवान ... विद्या सागर दीवान

६२ शिवाली ...

4/3/06 11 12

04/3/06

गौरव दीवान ... दीपक जोशी ... प्रेमचन्द जोशी ...

सुनील शर्मा ... एम०डी० शर्मा

3 न्यू मोहनपुरी मेरठ

... शर्मा ... मेरठ

04/3/06

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH - 7 MAR 2006 C 22171

:: 2 ::

तृतीय हुई इकरारी विश्राम सिह बनाम प्रथमपक्ष द्वारा उक्त रिक्त भूमि क्रयकर तत्पश्चात उस पर अपनी लागत से बाउण्ड्रीवाल निर्मितकर व्यक्तिगत स्वामी व किसी भी व्यक्ति संस्था आदि को किरायेपर देने के अधिकारी है और प्रथमपक्ष की ओर से उक्त सम्पत्ति आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है, तथा द्वितीयपक्ष ने उक्त सम्पत्ति सम्पूर्ण को उक्त संस्था के लिये शिक्षण कार्य हेतू तीस वर्ष के लिये किराये पर लेने की ख्वाईश प्रथमपक्ष से की है तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो के आधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिये द्वितीयपक्ष को किराये पर देना निश्चित किया है। अतः दोनो पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न धाराओ के पाबन्दं रहेगे:-

1- यहकि किरायेदारी दिनाक 01-01-2006 ई. से प्रारम्भ हो गयी है, तथा किरायेदारी का प्रत्येक वर्ष, की 1 जनवरी से शूरू होकर उसी वर्ष की 31 दिसम्बर को पूरा हुआ करेगा तथा किरायेदारी साल दर साल तीस साल तक चलती रहेगी।

Secretary
Dewan Law College
Partapur By Pass, Meerut

S. 100

ONE

RED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2- यहकि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनों पक्षों में अंकन 1000/- रूपये प्रतिवर्ष तय किया है, जिसे द्वितीयपक्ष प्रति वर्ष प्रथमपक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगें, तथा उक्त लीज की अवधि 01-01-2006 से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा प्रत्येक साल फरबरी माह के अन्तिम सप्ताह में द्वितीयपक्ष हर हालत मे किराया अदा कर दिया करेगें।

3- यहकि द्वितीयपक्ष ने उक्त सम्पत्ति पर बहैसियत किरायेदार अपना कब्जा कर लिया है, तथा द्वितीयपक्ष को उक्त भूमि पर अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने, उसमे कोई भी कार्स कराने, या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति मे स्कूल, कालिज चलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेगे तथा द्वितीयपक्ष ने उक्त भूमि मे एल.एल.बी. का पाठ्यक्रम चलाने हेतु उक्त भूमि को किराये पर लिया है।

4- यहकि किरायेदारी 01-01-2006 से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा उक्त अवधि में कोई किराया नही बढाया जायेगा।

Secretary
Dewan Law College
Partapur By Pass, Meerut

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5- यहकि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीयपक्ष की किरायेदारी के कारण व द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होगें उन्हें द्वितीयपक्ष ही अदा किया करेंगे, तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व स्कूल व कालिज आदि के सम्बन्ध में कोई भी नव निर्माण करायें, कनेक्शन नल व बिजली का लें, व टैक्स अदा करें, प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6- यहकि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में शिक्षण कार्य के लिए ही लायेगें, अन्य कोई कार्य नही करेगें तथा किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नही रखेंगे।

7- यहकि किरायेदारी की अवधि पूरी होने पर द्वितीयपक्ष उक्त भूमि पर अपने द्वारा किये गये निर्माण को उठा लेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी, तथा तीस साल अवधि पूरी होने पर किरायानामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

Secretary
Dewan Law College
Partapur By Pass, Meerut

8 यहकि, किरायेदारी की अवधि मे अन्तर्गत धारा 108 बी० डी०, ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार द्वितीयपक्ष किरायेदार को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था को भूमि के लीज राईट व निर्माण के स्वामित्त्व राईटस को मोरगेज करे, इसके लिये प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

9- यहकि लीज अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष को जबतक बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नही हो जायेगा लीज समाप्त करने का अधिकार नही होगा, अर्थात लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूरत में लीज समाप्त नही करेंगे।

10- यहकि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कालेज चलाने की स्वीकृत सम्बन्धी समस्त विभाग से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगा जिसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

11- यहकि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेगें अतः यह किरायानामा अवधि 30 तीस वर्ष लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

<u>सीमायें</u> <u>उक्त</u> सम्पत्ति ।

पूरबः-	भूमि प्रथमपक्ष।।
पश्चिमः-	भूमि प्रथमपक्ष।।
उत्तरः-	भवन द्वितीयपक्ष ।।
दक्षिणः-	रास्ता तीस फिट चौड़ा।।

Ric. Sunil Sharma
s/o H.D. Sharma
3, Shri Laxmi Lok,
Mahampur.

लिखित दिनांक 02-03-2006 मसविदा व फोटो सत्यापान श्री अरूण शर्मा एडवोकेट मेरठ।।

Arun Sharma
M. Com. L. L. B., Advocate
Registry Compound Kutchery
Meerut

Secretary
Dewan Law College
Partapur By Pass, Meerut

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible] श्री [illegible]

श्रीमान [illegible] नि०- 602 शिवाजी रोड मेरठ शहर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह : -

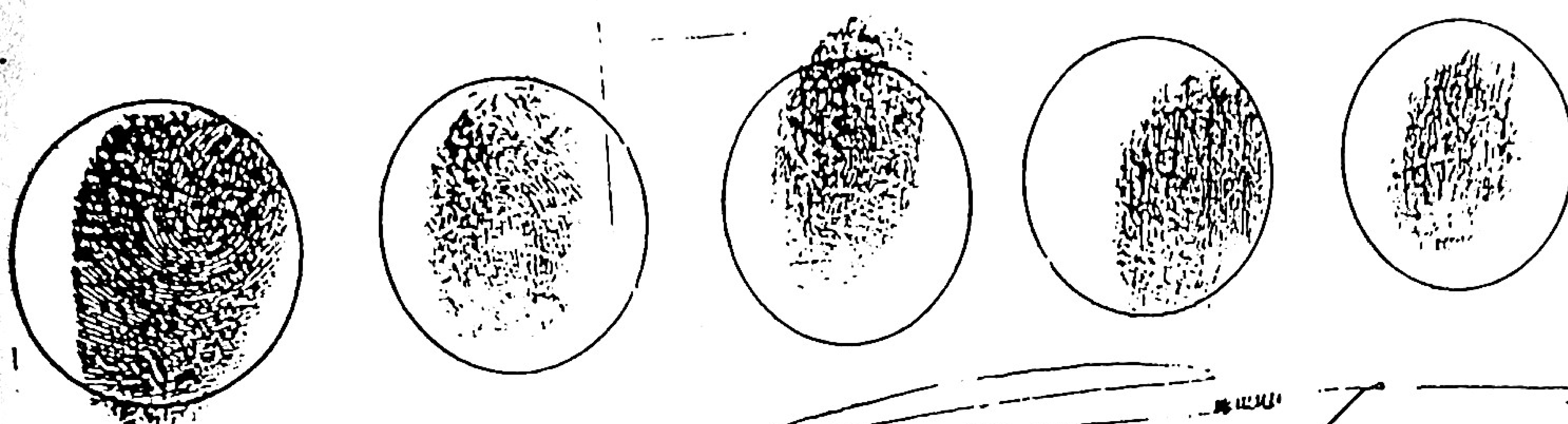

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

क्रेता का नाम व पता : दीपक जोशी S/O [illegible] श्री [illegible]

जोशी नि०- 204 साकेत कालोनी मेरठ शहर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह : -

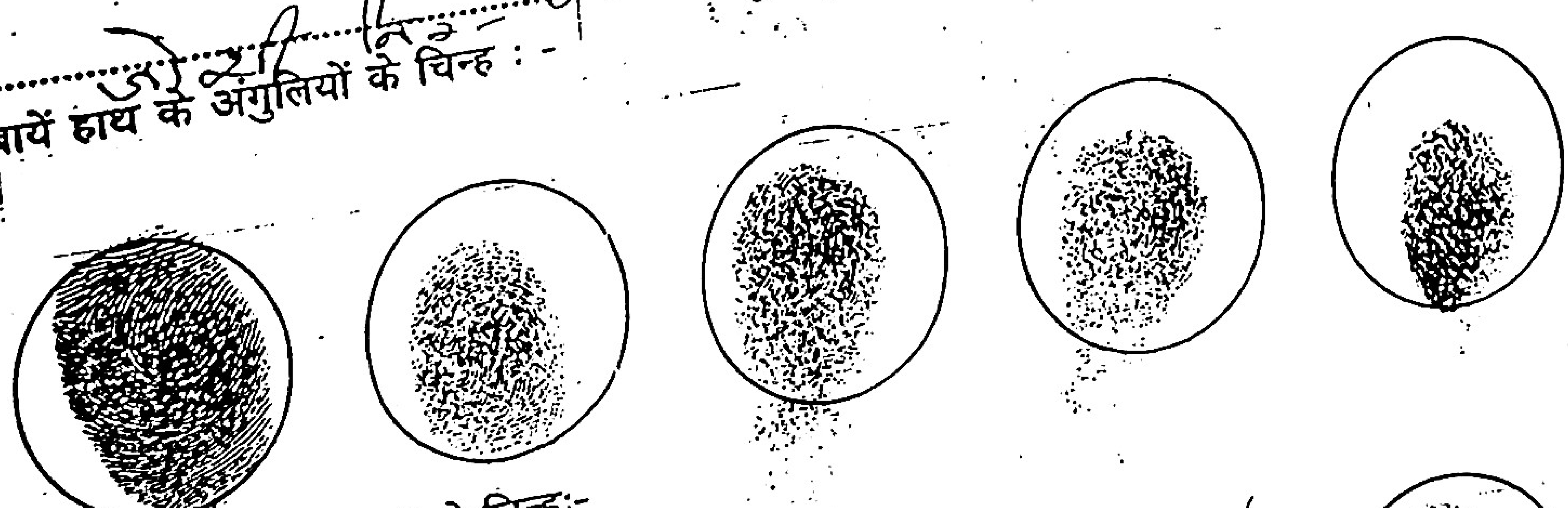

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

Arun Sharma
M. Com. L. L. B., Advocate
Registry Compound Kutchery
Meerut

फार्म उपलब्ध —ओ.के. फोटो स्टेट कचहरी मेरठ। फोन नं0 9412105014

Secretary
Dewan Law College
Partapur By Pass, Meerut

..., Meerut